प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023

कैम्प :- ग्राम पचांयत मुख्यालय
काछेला
दिनांक 23.05.2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अमृतलाल पुत्र रविशकंर कोम ब्राहण नि. बगसड़ी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चितलवाना।

प्रकरण संख्या 80/21

आदेश

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बगसड़ी के खसरा संख्या 429, 439 से 442, 9, 10, 11, 14/471, 15/472, 20, 40, 54, 87, 133, 134, 135 एव 308 जुमले रकबा 23.20 हे. मे प्रार्थी का नाम अमरा के स्थान पर अमृतलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एव अन्य का अवलोकन किया गया प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड मे 'अमरा पुत्र रविशंकर' दर्ज है अन्य दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एव पैन कार्ड में अमृतलाल दर्ज है।

अप्रार्थी राज्य सरकार ने अपने जवाब में भी नाम दुरस्त करने से राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने का उल्लेख किया गया। तहसीलदार, चितलवाना की जांच रिपोर्ट एव अन्य दस्तावेज तथा मजमें आम में पूछने पर प्रार्थी का नाम अमृतलाल होना बताया तथा अमरा पुत्र रविशंकर, अमृतलाल पुत्र रविशंकर एक ही व्यक्ति होना बताया। इस आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमरा से अमृतलाल किया जाना न्यायसंगत है।

तहसीलदार, चितलवाना को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बगसड़ी [illegible] से 442, 9, 10, 11, 14/471, 15/47[illegible] 20, 40, 54, 87, 133, 134, 135 एव 308 [illegible] रकबा 23.20 हेक्टर में प्रार्थी का नाम "अमरा" से अमृतलाल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51.45 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी
क्रं.स. 222
दिनांक 23/5/2023
प्रशासन गांवों के संग अभियान

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना